मुकदमा ______________ नं. ______________ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/07/22	प्रार्थीगण / अप्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली / प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज, प्रार्थीगण द्वारा बताये गये तथ्यों/दलीलों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण 507/1 एवम् 507/5 के खातेदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा संलग्न की गई सीमांकन की मौका फर्द खसरा सं. 507/1 का सीमांकन किया गया। जिसमें पूर्व की तरफ स्थित खसरे से सीमा-विवाद स्पष्ट है। खसरा नं. 507/5 का सीमाज्ञान प्रार्थीगण सं. 2 द्वारा नहीं करवाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	जवाब एवम् प्रस्तुत नक्शे की निरस्त कॉपी से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के मकान एवम् प्रार्थीगण के खसरे के मध्य मकान नक्शे में गै.मु. बाला दर्शाया गया है। अप्रार्थी ने फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये जिनसे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपने खसरें की सीमा का स्पष्ट चिह्नीकरण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ का संबंधित खसरे का नहीं होना बताया गया। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण - अप्रार्थीगण के मध्य सीमा-विवाद संबंधी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः बिना सीमा विवाद होना साबित हुये पत्थरगढ़ी का आदेश किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता। मुख्य सीमा विवाद प्रार्थी सं. 1 (एक) एवं 2 (दो) के मध्य होना पत्रावली से साबित होता है।
	अतः खसरा सं. 507/1 के सीमा विवाद निर्धारण एवं पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायालय उचित समझता है। तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि उचित पुलिस इमदाद प्राप्त कर खसरा नं. 507/1 की पत्थरगढ़ी करवायें। खसरा नं. 507/5 के खातेदार सीमाज्ञान करवाकर सीमा-विवाद होना या ना होना स्थापित करें तत्पश्चात पुनः प्रार्थना पत्र दायर करें।
	सहायक कलेक्टर, तिंवरी